न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 78/2022

अनवान :

1. बन्शीलाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी बाण्डाहेडी तहसील व जिला हिसार।
2. कुलदीपसिंह पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी बाण्डाहेडी तहसील व जिला हिसार।
3. जयसिंह पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी बाण्डाहेडी तहसील व जिला हिसार।
4. जगदीश पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी बाण्डाहेडी तहसील व जिला हिसार।
5. प्रतापसिंह पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी बाण्डाहेडी तहसील व जिला हिसार।

:–वादीगण

बनाम

1. गजेसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डाबडा तहसील व जिला हिसार।
2. गउशाला भादरा जरिऐ अध्यक्ष श्रीगउशाला भादरा तहसील भादरा।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबडी जरिऐ शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबडी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादीगण**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1**

वकील श्री किशनलाल यादव : **प्रतिवादी सं0 2**

निर्णय **दिनांकः**

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 80/180 के मु0न0 353, 354, 355, 372, 373 की कुल 10.891है0 बारानी वादभूमि में वादी सं0 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1423/21782 हिस्सा, वादी सं0 3 ता 5 प्रत्येक के नाम 1423/10891 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 के नाम 4187/10891 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 1012/10891 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

विवादित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था जिस पर वादभूमि के अलग अलग खेत बने हुए है तथा पक्षकारान ने अपने अपने हिस्सा की भूमि को उपजाउ व समतल आदि भी करवाया है। परन्तु वादभूमि रिकार्ड माल में मुश्तर्का खातेदारी होने के चलते माल लगान आदि को लेकर आये दिन विवाद बना रहता है। इसलिये वादी वादभूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता तकशीम करवाने एवं अपने विभाजित हिस्सा तक आवागमन के लिए रास्ता आदि का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व 2 जरिये वकील हाजिर आए। प्रतिवादी सं0 3 तामिल होने के उपरान्त भी हाजिर नहीं आए जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 19:21:08 IST
Reason: SelfAttested

24/05/24

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनके दी गई भूमि पर काश्त करते आ रहे है। उसी अनुसार खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 80/180 के मु0न0 353, 354, 355, 372, 373 की कुल 10.891है0 बारानी वादभूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./18/134 दिनांक 01.03.2024 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा भिरानी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:–

<u>विभाजन : रोही मौजा भिरानी</u>

<u>गउशाला भादरा हि0 पूर्ण</u> :– रोही मौजा भिरानी के मु0न0 355 कि0न0 1, 2, 9 व 10 प्रत्येक की 0.253है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.012है0 बा.

<u>कुलदीपसिंह पुत्र नत्थुराम 0.711है0, जगदीश पुत्र राजकरण 1.423है0, प्रतापसिंह पुत्र राजकरण 1.423है0, बंशीलाल पुत्र नत्थुराम 0.712है0, जयसिंह पुत्र राजकरण 1.423है0 जाति जाट सा0 बाण्डाहेडी खातेदार</u> :– रोही मौजा भिरानी के मु0न0 353 कि0न0 4/2 की 0.126है0 कि0न0 5 कर 0.253है0 कि0न0 6/1 की 0.126है0, मु0न0 354 कि0न0 1 ता 10 प्रत्येक की 0.253है0 कि0न0 11/2 की 0.126है0 कि0न0 12 ता 14 प्रत्येक की 0.253है0 कि0न0 15/1 की 0.240है0 कि0न0 15/2 की 0.013है0 रास्ता, कि0न0 16/1 की 0.240है0 कि0न0 16/2 की 0.013है0 रास्ता, कि0न0 17 व 18 प्रत्येक की 0.253है0 कि0न0 19/1 की 0.127है0 कि0न0 23/2 की 0.121है0 कि0न0 23/3 की 0.006है0 रास्ता, कि0न0 24/1 की 0.240है0 कि0न0 24/2 की 0.013है0 रास्ता, कि0न0 25/1 की 0.227है0 कि0न0 25/2 की 0.025है0 रास्ता कुल किता 27 का कुल रकबा 5.692है0 (5.622है0 बा0 व 0.070है0 रास्ता)

<u>गजेसिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 डाबडा खातेदार</u> :– रोही मौजा भिरानी के मु0न0 355 कि0न0 11, 12, 19 ता 24 प्रत्येक की 0.253है0, मु0न0 372 कि0न0 1 ता 4, 9, 10 प्रत्येक की 0.253है0 कि0न0 11 की 0.139है0, मु0न0 373 कि0न0 4/2 की 0.114है0 कि0न0 5 की 0.253है0 कि0न0 6 की 0.139है0 कुल किता 18 का कुल रकबा 4.187है0 बा.

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24-05-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 19:21:08 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner